राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 687/2022

1. डॉ. नवीन जाखड़ पुत्र श्री भगवान, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी फ्लैट संख्या 211, ऐलेना-2 कजरिया ग्रीन्स, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान।

2. डॉ. सुरेंद्र पुरोहित पुत्र श्री जोगाराम पुरोहित, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम चितलवाना, झालोर, राजस्थान।

3. डॉ. अरविन्द बिश्नोई पुत्र श्री पुन्माराम बिश्नोई, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वाडाभाड़वी, झालोर, राजस्थान।

4. डॉ. नफीश अहमद पुत्र इल्मुद्दीन, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी रतनगढ़, चूरू, राजस्थान।

5. डॉ. प्रवीण कुमार पुत्र आसूराम, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी चितलवाना, जालोर, राजस्थान।

6. डॉ. मंजीत सिंह ओला पुत्र श्री महावीर प्रसाद, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, सीकर, राजस्थान।

7. डॉ. विकास पुरूषोत्तम पुत्र श्री एस एल पुरूषोत्तम, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी भीलवाड़ा, राजस्थान।

8. डॉ. सुरेश कुमार पुत्र श्री गंगाराम, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी काल्दा, झालोर, राजस्थान।

9. डॉ. माखन लाल यादव पुत्र श्री एम.पी.यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी राजसमंद, राजस्थान।

10. डॉ. हेमन्त कुमार पुत्र नरसा राम, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी सिरोही, राजस्थान।

11. डॉ. बाला पुत्री भंवर लाल, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी सांचौर, झालोर, राजस्थान।

12. डॉ. भंवर लाल बिश्नोई पुत्र सोनाराम, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी रानीवाड़ा, जालोर, राजस्थान।

13. डॉ. दिनेश कुमार विश्नोई पुत्र रामलाल विश्नोई, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी सेवरी, झालोर, राजस्थान।

14. डॉ. कैलाश महला पुत्र मोहनदास, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी नागौर, राजस्थान।

15. डॉ. महेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी बहरोड़, अलवर, राजस्थान।

16. डॉ. विपिन यादव पुत्र श्री विवेकानन्द, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी बहरोड़, अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।
4. अध्यक्ष, एनईईटी पी.जी. मेडिकल और डेंटल प्रवेश/परामर्श बोर्ड-2021 और प्राचार्य, सरकार। डेंटल कॉलेज, सुभाष नगर, टी.बी. के पीछे अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
5. सचिव के माध्यम से चिकित्सा परामर्श समिति, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली।

----प्रत्यर्थीगण

<u>से संबद्ध</u>

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1486/2022

सुमित कुमार सैनी पुत्र निरंजन लाल सैनी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ई-59, रूप विहार कॉलोनी, एन.एस.रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 302005 के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

4. अध्यक्ष, एनईईटी पी.जी. मेडिकल/डेंटल 2021 काउंसलिंग बोर्ड और प्रिंसिपल और नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, जयपुर।

5. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।

6. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अपने सचिव के माध्यम से, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, चरण-1, नई दिल्ली।

7. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, अपने कार्यकारी निदेशक के माध्यम से मेडिकल एन्क्लेव, एनएएमएस बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, अंसार नगर, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय।

---- प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री एन.के.मालू, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अभिमन्यु सिंह यदुवंशी और श्री राम प्रताप सैनी, अधिवक्ता से प्राप्त सहायता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	डॉ. विभूति भूषण शर्मा, अपर. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से महाधिवक्ता श्री हर्षल थोलिया प्रर्थी-एनएमसी की ओर से श्री अंगद मिर्धा

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

<u>आदेश</u>

आदेश सुरक्षित करने की तारीख : 28 जनवरी, 2022

<u>रिपोर्टेबल</u>

आदेश की तारीख : 1 फरवरी, 2022

<u>न्यायालय द्वारा:</u>

चूंकि इन रिट याचिकाओं में सामान्य प्रश्न शामिल होते हैं, अतः पक्षकारों के अधिवक्ता की सहमति से इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया गया है।

2. वर्तमान रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता, सेवारत डॉक्टर हैं, जिन्होंने दिनांक 08.01.2022 के पत्र/आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत राज्य सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान बोनस अंक देने का उद्देश्य से सेवारत डॉक्टरों के अनुभव को 30.09.2021 तक गिनने पर विचार करने का निर्णय लिया है।

3. तथ्य, संक्षेप में, जैसाकि रिट याचिकाओं में दलील दी गई है, यह है कि याचिकाकर्तागण ने 11.09.2021 को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा - स्नातकोत्तर, 2021 (संक्षेप में 'एनईईटी पी.जी. 2021') में भाग लिया और उनमें से सभी उक्त परीक्षा में सफल घोषित किये गये। याचिकाकर्ता, दूरस्थ, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टर होने के नाते, नीट पीजी 2021 परीक्षा में इन-सर्विस उम्मीदवारों के रूप में आवेदन करते थे और वे सभी दूरस्थ, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रोत्साहन अंक के पात्र थे।

4. याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि शुरुआत में 14.04.2020 की एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें दूरस्थ, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों की घोषणा की गई थी और बोनस अंकों की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि 30.04.2020 निर्धारित की गई थी।

5. याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि प्री-पीजी. 2021 के लिए, राज्य सरकार ने शुरुआत में 18.03.2021 को एक पत्र जारी किया था, जिसके तहत अनुभव की गणना के लिए अंतिम तारीख 30.04.2020 निर्धारित की गई थी।

6. याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि आश्चर्यजनक रूप से 08.01.2020 को एक और पत्र/आदेश जारी किया गया है, जिसमें बोनस/प्रोत्साहन अंक देने के उद्देश्य से अनुभव की गणना के लिए अंतिम तिथि 30.04.2021 से बढ़ाकर 30.09.2021 कर दी गई।

7. याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि राज्य सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से तारीख को 30.09.2021 तक बढ़ाने के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा जारी पत्र दिनांक 26.10.2021 का संदर्भ दिया है और उक्त तारीख केवल एम.बी.बी.एस. स्नातकों द्वारा इंटर्नशिप पूरी करने के संबंध में थी और इसका सेवारत डॉक्टरों से कोई लेना-देना नहीं था।

8. याचिकाकर्तागण ने यह भी दलील दी है कि दिनांक 08.01.2022 का आक्षेपित पत्र

उम्मीदवारों को बोनस अंकों का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसके लिए अन्यथा वे काउंसलिंग के अगले वर्ष अर्थात 2022 में पात्र हैं और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने 12.03.2022 को उक्त परीक्षा आयोजित करके नीट पीजी 2022 के शेड्यूल की घोषणा भी की है।

9. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.के.मालू ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:-

9.1 सेवारत डॉक्टरों के अनुभव की गणना के लिए प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल की अंतिम तिथि 2018 से राज्य सरकार के लिए प्रचलित थी और लंबे समय से प्रचलित प्रैक्टिस को इस वर्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा मनमाने तरीके से बदल दिया गया है।

9.2 30.09.2021 तक के अनुभव की गणना करके बोनस अंक देने से सेवारत डॉक्टरों के विचार/योग्यता का क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया है, जो 30.09.2021 को 1/2/3 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर लेंगे। उक्त परिवर्तन याचिकाकर्तागण और अन्य उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रभाव वाला पूर्वाग्रह है, जिसे एक उदाहरण का हवाला देते हुए समझाया गया है कि 513वें मेरिट स्थान वाले एक व्यक्ति को एक वर्ष का लाभ देकर 190वें स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया।

9.3 राज्य सरकार ने एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11583/2021 (जितेंद्र सिंह निठारवाल बनाम राज्य) में उत्तर दायर करते हुए विशेष रूप से यह रुख अपनाया था कि उम्मीदवारों को एक निश्चित अंतिम तिथि के आधार पर अनुभव प्रदान किया जाता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब राज्य सरकार ने 04.01.2021 को हलफनामा दायर करके निर्धारित किया है, तो दिनांक 08.01.2022 को अधिसूचना जारी करके तिथि का विस्तार यू-टर्न लेने जैसा है और राज्य सरकार को अपना रुख बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

9.4 राज्य सरकार ने अनुभव की गिनती की तारीख को बदलते समय प्रासंगिक विचार को ध्यान में नहीं रखा है क्योंकि 30.09.2021 तक कोविड -19 अवधि के दौरान अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए

फ्रेशर्स/एम.बी.बी.एस. छात्रों की श्रेणी पूरी तरह से एक अलग स्तर और एक ही तर्क पर है यह सेवारत डॉक्टरों के मामलों से निपटने के दौरान लागू नहीं होता है क्योंकि वे पहले से ही एक विशेष समय तक दूरदराज, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कर रहे थे।

9.5 30.09.2021 की अंतिम तिथि तय करने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि दिनांक 08.01.2022 के पत्र/आदेश को स्वतंत्र रूप से चुनौती दी गई है और यह न्यायालय **डॉ. दलीप सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। [एकलपीठसिविल रिट याचिका संख्या 11568/2021** के मामले में और अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 10.01.2022 के आदेश के तहत रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते समय ऐसे पत्र/आदेश की वैधता पर विचार नहीं किया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि खंडपीठ ने भी **डॉ. नेहा चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [खंडपीठविशेष अपील रिट संख्या 201/2022]** द्वारा दायर अपील को अपास्त कर दिया और एक अन्य संबंधित अपील ने आदेश दिनांक 25.01.2022 के माध्यम से, हालांकि, डॉ. दलीप सिंह (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है, खंडपीठ ने ऐसा नहीं किया है। मामले के किसी भी अन्य पहलू पर विशेष रूप से दिनांक 08.01.2022 की अधिसूचना के तहत अंतिम तिथि को 30.04.2021 से 30.09.2021 तक बढ़ाने से संबंधित है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया:-

(i) पी. मोहनन पिल्लई बनाम केरल राज्य 2007 में (9)एससीसी 497 में प्रकाशित

(ii) कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1991 SC 537 में प्रकाशित

(iii) ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक और अन्य 2021 (6) एससीसी 707 में प्रकाशित

11. इसके विपरीत, डॉ. विभूति भूषण शर्मा, अपर महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित श्री हर्षल थोलिया ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं: -

11.1 अंतिम तिथि को 30.04.2021 से 30.09.2021 तक बढ़ाने का मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं रह गया है क्योंकि खंडपीठ ने न केवल डॉ. दलीप सिंह (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है, बल्कि यह माना गया कि तारीख तय करना और प्रोत्साहन देना नीति का मामला है और राज्य सरकार की शक्तियों के विवेकाधीन प्रयोग पर निर्भर करता है।

11.2 राज्य सरकार ने कई कारकों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत रूप से अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है और चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा दिनांक 26.10.2021 को जारी पत्र के अनुसार इसे पूरा करने की तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है। अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए एम.बी.बी.एस. स्नातकों द्वारा इंटर्नशिप एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है, लेकिन कोविड -19 के कारण मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

11.3 राज्य सरकार, नीतिगत मामले के रूप में, एक नया निर्णय ले सकती है और अलग आदेश पारित कर सकती है क्योंकि यह राज्य का विशेषाधिकार है।

11.4 यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई है, तो वैध वर्गीकरण की अनुमति है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

11.5 सेवारत डॉक्टरों को अलग-अलग अंतिम तिथियां तय करके प्रोत्साहन अंक देने की नीति पूरे देश में विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई गई है और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य ने भी अलग-अलग तिथियां तय की हैं।

12. विद्वान अधिवक्ता श्री थोलिया ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित मामलों पर भरोसा जताया:-

(i) बिहार राज्य बनाम रामजी प्रसाद ने 1990 (3) एससीसी 368 में प्रकाशित

(ii) भारत संघ एवं अन्य। बनाम सुधीर कुमार जयप्रश्न ने 1994 (4) एससीसी 212 में प्रकाशित

(iii) यूजीसी बनाम साधना चौधरी एवं अन्य 1996 (10) एससीसी 536 में प्रकाशित

(iv) रामराव एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग बैंक कर्मचारी कल्याण संघ एवं अन्य 2004 में प्रकाशित (2) एससीसी 76

13. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंगद मिर्धा ने प्रस्तुत किया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 (संक्षेप में "विनियम, 2000") के विनियमन 9 (IV) में यह प्रावधान है कि सेवारत सरकारी डॉक्टरों की योग्यता राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% तक प्रोत्साहन के रूप में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और दूरस्थ/कठिन/ग्रामीण क्षेत्रों को समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। .

14. श्री मिर्धा ने आगे कहा कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से लेकर काउंसलिंग पूरी होने तक का पूरा कैलेंडर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर और मामले के बाद से 2021-22 के वर्तमान सत्र में तय किया गया है। ईडब्ल्यूएस/ओबीसी से संबंधित मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, अब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रास्ता साफ कर दिया गया है और काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया अब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जा रही है।

15. अधिवक्ता ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष 30 अप्रैल को अंतिम तारीख तय करने की लगातार प्रथा की दलील उन पिछले वर्षों में प्रासंगिक रही होगी, लेकिन वर्तमान वर्ष में जब प्रवेश को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यदि राज्य सरकार ने सेवारत डॉक्टरों के लिए 30.09.2021 को अंतिम तिथि के रूप में लिया है, ऐसे निर्णय में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता है।

16. अधिवक्ता ने आगे कहा कि हमेशा कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा अंतिम तिथि तय करके ऐसे निर्णय लेने पर नुकसान या फायदा होता है, हालांकि, इसके परिणामस्वरूप पूरी प्रवेश प्रक्रिया और इस तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए विवाद को इसी स्तर पर समझा-बुझाकर निपटाया जाना आवश्यक है।

17. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

18. इस न्यायालय ने पाया कि मुकदमे की पहली श्रृंखला में **[डॉ.जितेंद्र सिंह निठारवाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11583/2021)** और संबंधित रिट याचिकाएं], याचिकाएं उन उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थीं जो 30.09.2021 तक अपनी इंटर्नशिप पूरी कर चुके डॉक्टरों के साथ समानता का दावा कर रहे थे और इस तरह से राहत मांगी गई थी। न्यायालय ने, निर्देश की प्रकृति में, सेवारत डॉक्टरों और उन उम्मीदवारों के बीच समानता बनाए रखने की आवश्यकता थी, जिन्होंने एक सामान्य तिथि तक अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है। इस न्यायालय ने दिनांक 10.01.2022 के आदेश के तहत उन रिट याचिकाओं को निरर्थक घोषित कर दिया, क्योंकि रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने दिनांक 08.01.2022 को अधिसूचना जारी की, जिसके तहत अंतिम तिथि 30.04.2021 से बदलकर 30.09.2021 कर दी गई।

19. इस न्यायालय में मुकदमेबाजी की दूसरी श्रृंखला सामने आई, जिसके तहत उम्मीदवारों ने इस न्यायालय से निर्देश मांगा कि अनुभव की गणना की अंतिम तारीख 30.09.2021 सही नहीं थी और 31.10.2021 तक के अनुभव को बोनस देने के उद्देश्य से गिना जा सकता है। अंक और इस न्यायालय ने दिनांक 08.01.2022 की अधिसूचना जारी करने पर विचार करते हुए पाया कि राज्य सरकार ने 30.09.2021 तक अपना अनुभव प्राप्त करने वाले सेवारत डॉक्टरों की उम्मीदवारी और सेवा की गणना के लिए पात्रता और मानदंड पर विचार करने का एक सचेत निर्णय लिया था। मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा कई कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना आवश्यक था और यदि राज्य सरकार द्वारा अंतिम तिथि बदल दी गई है, तो ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं पाई गई। डॉ. दलीप सिंह (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2022 का प्रासंगिक भाग यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> “इस न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार ने पहले से ही उन सेवारत डॉक्टरों की उम्मीदवारी पर विचार करने का एक सचेत निर्णय लिया है, जिन्होंने 30.09.2021 तक अपना अनुभव प्राप्त कर लिया है और उन्होंने 30.04.2021 तक के अनुभव को गिनने का निर्णय नहीं लिया है,

जैसाकि शुरू में अधिसूचित किया गया था।

सेवा की गणना के लिए पात्रता या मानदंड मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा कई कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना आवश्यक है और यदि राज्य सरकार अब 30.09.2021 तक अनुभव की गणना के लिए अंतिम तिथि बदल देती है, तो इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि यदि याचिकाकर्तागण ने दिनांक 08.01.2022 की अधिसूचना के अनुसार आवश्यक संख्या में सेवा प्रदान कर दी है, तो राज्य सरकार उनके मामलों पर विचार करने के लिए बाध्य है।

20. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2022 को पारित आदेश को डॉ. नेहा चौधरी (सुप्रा.) के मामले में खंडपीठ और खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जबकि विशेष अपील को आदेश दिनांक 25.01.2022 द्वारा अपास्त कर दिया गया था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-

“14. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि कठिन, दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने वाले इन-हाउस डॉक्टरों को प्रोत्साहन अंक देने की नीति राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है, जिसके आधार पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष में पी.जी. मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए 10% वेटेज दिया जाएगा। यह नीट परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के अतिरिक्त होगा। आमतौर पर ऐसे अनुभव पर संबंधित वर्ष के 30 अप्रैल तक विचार किया जाएगा। वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया में भी प्रारंभ में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30.04.2021 थी। हालाँकि, शुरुआत में कोरोना वायरस फैलने के कारण नीट परीक्षा का आयोजन ही स्थगित करना पड़ा था। परीक्षा 11.09.2021 को ही पूरी हो सकी। इसके बाद भी पी.जी. मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिए गए आरक्षण को लेकर कानूनी विवादों के कारण काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने ऐसे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए स्वयं ही समय सीमा 30.04.2021 से बढ़ाकर

30.09.2021 कर दी है। हमारे विचार में यह मुख्य रूप से नीति का मामला है और राज्य सरकार की शक्तियों के विवेकाधीन प्रयोग पर निर्भर करता है। शुरुआत के लिए प्रोत्साहन देना एक नीतिगत मामला है और राज्य प्राधिकारियों के विवेक पर आधारित है। अनुभव पर विचार करने के लिए कोई भी विस्तार भी शक्तियों के ऐसे विवेकाधीन पद्यति का हिस्सा है। जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि इस तरह के विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है, यह न्यायालय ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

15. इसके अलावा, जैसाकि एनएमसी के अधिवक्ता ने सही ढंग से बताया है, राज्य की नीति प्रोत्साहन देना है। किसी भी उम्मीदवार को ऐसे प्रोत्साहनों का दावा करने का निहित अधिकार नहीं है, वह भी राज्य की नीति के विपरीत है। ऐसी अंतिम तिथि में उतार-चढ़ाव नहीं रखा जा सकता। काउंसलिंग की तारीख कई कारकों पर निर्भर करेगी। अतः यह सुझाव कि काउंसलिंग की पहली तारीख तक अभ्यर्थी को प्राप्त अनुभव स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे का एक और पहलू भी है. राज्य की नीति के अवलोकन से पता चलता है कि प्रोत्साहन यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि दूरदराज, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में रहने की कठिन परिस्थितियों के कारण इन डॉक्टरों को पी.जी. मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में भी कुछ हद तक बाधा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी बाधाओं की भरपाई के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की जा रही है। एक बार परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद, उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों की तुलना में तैयारी करने में वंचित होने की शिकायत नहीं कर सकता। अतः राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30.09.2021 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, अपीलें अपास्त की जाती हैं।"

21. इस न्यायालय ने पाया कि खंडपीठ ने पाया है कि दिनांक 08.01.2022 की अधिसूचना के तहत तारीख के विस्तार के संबंध में मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष लंबित

था, अतः खंडपीठ ने उम्मीदवारों द्वारा की गई चुनौती के किसी भी पहलू को नहीं छुआ। तदनुसार, इस न्यायालय को उक्त मुद्दे पर निर्णय देना आवश्यक है।

22. याचिकाकर्तागण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील कि 2018 से पिछली प्रथा हमेशा प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को तय करने की रही है, इस न्यायालय द्वारा यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यदि पूरे देश में प्रचलित कोविड-19 स्थिति के कारण, परीक्षा और प्रवेश का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, सक्षम प्राधिकारी यदि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूरस्थ, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत डॉक्टरों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि तय करता है, तो पिछली प्रथा लागू नहीं हो सकती है। परिस्थितियाँ बदल गईं और इस प्रकार इसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।

23. याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील है कि चूंकि राज्य सरकार ने एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11583/2021 (जितेंद्र सिंह निठारवाल बनाम राज्य) में उत्तर दायर करते हुए एक विशिष्ट रुख अपनाया है कि पवित्र तिथि 30.04.2021 है, इसे बदला नहीं जा सकता है। इस न्यायालय का मानना है कि यदि राज्य सरकार ने अनुमेय लाभ देने का उद्देश्य अपने दिमाग में रखा है, अर्थात राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिकतम 30%, विनियम, 2000 के विनियम 9(IV) के अनुसार, राज्य सरकार के निर्णय को मनमाना या किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

24. याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 की अधिसूचना में 26.10.2021 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें एम.बी.बी.एस. स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर उल्लेख किया गया है, इसे 30.09.2021 तक कर दिया गया है और इसका तारीख के वर्तमान विस्तार के साथ कोई संबंध नहीं है, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि भले ही इंटर्नशिप पूरा करने की अंतिम तारीख 26.10.2021 के पत्र में बढ़ा दी गई हो, राज्य सरकार के पास प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी तारीख को अपने आप बढ़ाने का पूरा अधिकार है।

25. याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील है कि 30.09.2021 तक लाभ देने से उम्मीदवारों की पूरी योग्यता प्रभावित होने के कारण योग्यता में बदलाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी असमानता हुई, इस न्यायालय ने पाया कि कुछ बोनस अंक

देने के कारण यदि उम्मीदवार योग्यता में स्थान पाने का पात्र हो जाता है, तो इसे अवैध या किसी अन्य उम्मीदवार के अधिकार को प्रभावित करने वाला नहीं कहा जा सकता।

26. याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील कि खेल शुरू होने के बाद विचार का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है या खेल का नियम बदल दिया गया है, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि प्रवेश के मामले में, यदि पात्रता निर्धारित है सक्षम प्राधिकारी द्वारा और राज्य सरकार की नीति के अनुसार उम्मीदवारों को कुछ लाभ दिए जाने हैं, जिसके परिणामस्वरूप खेल शुरू होने के बाद किसी भी विचार क्षेत्र या खेल के नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

27. इस न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार ने शुरू में 30.04.2021 की अंतिम तारीख तय करके निर्णय लिया था और बाद में, नीतिगत निर्णय के रूप में, राज्य सरकार ने अंतिम तारीख को 30.09.2021 में बदल दिया है। राज्य सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता और नीति के तहत सोचा कि सेवारत डॉक्टरों को बोनस अंकों के प्रोत्साहन के रूप में लाभ 30.09.2021 तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। यदि राज्य सरकार ने पाया है कि दूरस्थ, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने से कोई व्यक्ति कुछ प्रोत्साहन/बोनस अंक का पात्र हो जाता है, तो किसी विशेष तिथि तक ऐसा लाभ प्रदान करने के राज्य सरकार के निर्णय को सनकपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। केवल प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने से प्रोत्साहन अनुदान समाप्त नहीं हो सकता है, बल्कि यदि दूरस्थ, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा जारी रखने से सेवारत डॉक्टरों को लाभ मिलता है तो यह सेवारत डॉक्टरों को लाभ देने के उद्देश्य के अनुरूप है।

28. इस न्यायालय का मानना है कि किसी दिए गए मामले में अंतिम तिथि के निर्धारण से किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के समूह को कठिनाई हो सकती है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि तिथि का ऐसा निर्धारण स्वयं मनमाना है। कोई भी अंतिम तारीख, जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है, हमेशा कुछ उम्मीदवारों को प्रभावित करेगी, लेकिन साथ ही, अंतिम तारीख का निर्धारण, यदि अंतर्निहित यादृच्छिकता की डिग्री है, तो ऐसी तारीख उम्मीदवारों के कुछ समूह के लिए कठिनाई का कारण बनेगी।

29. इस न्यायालय का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट न्यायालय, प्रशासनिक पक्ष पर लिए गए हर निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और अंतिम तारीख तय करना रिट न्यायालय के दायरे से बाहर होगा जब तक कि इसे या तो

मनमौजी विचारों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है या फिर दुर्भावनापूर्ण तरीके से तय किया जाता है।

30. जहां तक **पी. मोहनन पिल्लई बनाम** केरल राज्य ने **2007 (9) एससीसी 497** में प्रकाशित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा करने का संबंध है, उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथ्य साक्षात्कार आयोजित करते समय अनुपात में वृद्धि करके विचार के क्षेत्र को बढ़ाने के संबंध में थे और यह उम्मीदवारों को ज्ञात नहीं था। जिन्होंने भाग लिया और इस प्रकार उक्त निर्णय याचिकाकर्तागण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

31. जहां तक कुमारी **श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1991 एससी 537** में प्रकाशित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर निर्भरता है, उक्त निर्णय सार्वजनिक प्राधिकरणों की शक्तियों के बारे में एक अधिकार है और सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए निरंकुश विवेक की कोई अवधारणा नहीं है और जो शक्ति सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है उसका उपयोग केवल जनता की भलाई के लिए किया जाना है। उक्त निर्णय राज्य के कार्यों में निष्पक्षता और तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए है और यह याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए बहुत कम सहायता है।

32. **ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक और अन्य 2021 (6) एससीसी 707** में प्रकाशित मामले में याचिकाकर्तागण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निर्भरतारखी गई। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को आक्षेपित आदेश/संचार की सामग्री के संदर्भ में बनाए रखना आवश्यक है और विवाद के माध्यम से इसमें सुधार करके इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष दायर आपत्ति बयान या हलफनामे में उठाया गया।

33. उक्त सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1978 में **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त ने 1978 में प्रकाशित (1) एससीसी 405** के मामले में सुस्थापित सिद्धांत है।

34. इस न्यायालय ने, डॉ. दलीप सिंह (सुप्रा.) के मामले में आदेश पारित करते हुए, हालांकि, दिनांक 08.01.2021 की अधिसूचना की वैधता पर निर्णय नहीं किया है, जैसाकि

वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है, की शक्ति राज्य सरकार को प्रासंगिक विचारों और कारकों को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम तारीख तय करने का सचेत निर्णय लेने की मंजूरी दे दी गई है और उक्त आदेश को डॉ. नेहा चौधरी (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा भी बरकरार रखा गया है।

35. इस न्यायालय ने पाया कि **जीए विश्वजीत बनाम मद्रास उच्च न्यायालय यूओआई और अन्य [डब्ल्यूपी संख्या 16526/2021]** के मामले में और संबंधित रिट याचिकाओं पर 09.08.2021 को निर्णय लिया गया है, जिसमें एक वर्ष की अनिवार्य रोटरी आवासीय इंटर्नशिप को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 के बजाय 31अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाकर एनईईटी पी.जी. 2021 में भाग लेने के लिए परमादेश मांगने के मुद्दे से निपटा गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है कि व्यक्तिगत दावों के आधार पर अंतिम तारीखें तय नहीं की जाती हैं और अधिकारियों को विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करना होता है और फिर निर्णय लेना होता है।

36. यह न्यायालय इसी तरह पाता है कि **श्री अरमान सिंधु बनाम यूओआई और अन्य [WP(C) NO.8429/2021]** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय। 18.08.2021 को तय किए गए निर्णय में एक वर्ष की अनिवार्य रोटरी आवासीय इंटर्नशिप को पूरा करने की तारीख 30 सितंबर, 2021 से आगे 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाने की शिकायत पर भी विचार किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अलग-अलग कारण बताते हुए और जीए विश्वजीत (सुप्रा.) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का पालन करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।

37. तदनुसार, इस न्यायालय को दोनों रिट याचिकाओं में कोई बल नहीं लगता है और इन्हें अपास्त कर दिया जाता है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Solanki DS, PS

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए

स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।